

मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

क्रमांक शक-58/19/15/19/सा-1186

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2015

प्रति

1. समस्त मुख्य-अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय :- सड़क कार्यों के सम्पादन के संबंध में।

प्रदेश में निर्माणाधीन सभी श्रेणी की सड़कों के निर्माण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- (1) अर्थवर्क का कार्य शुरू करने के पूर्व मार्ग के Original ground level [OGL] विधिवत रिकॉर्ड किये जाकर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कर संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री कार्यालय को भेज दिये जायें।
- (2) मार्ग निर्माण में सी.आर.एम. अथवा जी.एस.बी. का कार्य प्रारंभ करने से पहले सबग्रेड अर्थवर्क के-मैजरमेंट को अंतिम रूप से रिकॉर्ड कर सक्षम अधिकारी से उनकी जांच करवाना सुनिश्चित करें।
- (3) जी.एस.बी. अथवा सी.आर.एम. कार्य प्रारंभ करने के पश्चात सबग्रेड की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। अपवाद स्वरूप किसी विशेष परिस्थिति में वृद्धि की आवश्यकता होने पर मुख्य अभियंतो से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


10/7/2015

(सी.पी. अग्रवाल)

सचिव,


म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग

पू.कमांक २६-५६/१९/१५/१९/यो-५१६७

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. सडक विकास निगम, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म.प्र., भोपाल।


10/7/2015

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

दिनांक 10/7/15
भोपाल (11)
20/7/15
गणमान्य
CE (P)
31/7

20/7/15

